

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या-648/2026

जय सिंह और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: विशाल मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार यादव को सुना।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

“(1). विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वह राजस्व बोर्ड, लखनऊ में लंबित पुनरीक्षण संख्या 116/2015, नंद लाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य का शीघ्रता से और अधिमानतः इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, निजी प्रतिवादी संख्या 2 और 4 द्वारा याचिकाकर्ता को विपक्षी पक्षकार बनाकर उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 219 के अंतर्गत दायर पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी संख्या 2/उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, लखनऊ के समक्ष वर्ष 2014-15 से लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेशपुस्तिका प्रस्तुत की है, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि पुनरीक्षण याचिका 10 वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त होने के बाद भी लंबित है।

4. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस याचिका का अंतिम निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 -राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 116/2015 का शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की

प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद निर्णय लें।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

16 फरवरी, 2026

पीएस